



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271053  
CG-DL-E-18032026-271053

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

**सा.का.नि. 192(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप निदेशक (स्वास्थ्य), उप निदेशक (डिजिटल स्वास्थ्य), उप निदेशक (स्वास्थ्य सूचना विज्ञान), सहायक निदेशक (प्रवर्तन-एबीडीएम), सहायक निदेशक (एबीडीएम-अंगीकरण), सहायक निदेशक (क्षमता निर्माण - एबीडीएम) और सहायक अनुभाग अधिकारी (आई टी - डिजिटल स्वास्थ्य) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, समूह "क" तथा "ख" पद, भर्ती नियम, 2021 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट अनुसार है।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित आय बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, उपबंध करना अपेक्षित है।

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में उप निदेशक (एबीडीएम-प्रशासन) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (एबीडीएम-प्रशासन)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-11: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 67700-208700/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

		<p>विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56,1,00-1,77,500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री;</p> <p>(ii) प्रशासन अथवा स्थापना में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	---	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में उप निदेशक (एबीडीएम-वित्त) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (एबीडीएम-वित्त)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-11: वेतन मैट्रिक्स में ( रु. 67700-208700/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति:	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि	भर्ती करने में	

किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	<p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56,1,00 - 1,77,500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री;</p> <p>(ii) बजट और लेखा सहित वित्त में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

## स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में उप निदेशक (स्वास्थ्य सूचना विज्ञान) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (स्वास्थ्य सूचना विज्ञान)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-11: वेतन मैट्रिक्स में (रु. 67700-208700/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56,100 – 1,77,500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी /बीसीए/ एमसीए में डिग्री की डिग्री;</p> <p>(ii) आईटी संबंधी परियोजनाओं पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	---	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में उप निदेशक (डिजिटल स्वास्थ्य) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (डिजिटल स्वास्थ्य)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-11: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 67700-208700/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	

विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	<p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56,1,00-1,77,500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/एमबीबीएस/बीडीएस/आयुष/बीई/बीटेक/कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी /बीसीए/एमसीए में डिग्री;</p> <p>(ii) स्वास्थ्य/आईटी संबंधी परियोजनाओं पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

## स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में उप निदेशक (स्वास्थ्य) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (डिजिटल स्वास्थ्य)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-11: वेतन मैट्रिक्स में ( रु. 67700-208700/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	

8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :  (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या  (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>(रु. 56,100 – 1,77,500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/एमबीबीएस/बीडीएस/आयुष/बीई/बीटेक/कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी /बीसीए/एमसीए में डिग्री;</p> <p>(ii) स्वास्थ्य/आईटी संबंधी परियोजनाओं पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक निदेशक (एबीडीएम-प्रशासन ) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (एबीडीएम-प्रशासन)	1(2022) * कार्य भार के आधार	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित	स्तर-8: वेतन मैट्रिक्स में (रु . 47600-151100/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह, क				
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44,9,00 – 1,42,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री; (ii) प्रशासन अथवा स्थापना में तीन वर्ष का अनुभव। (टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

## स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक निदेशक (एबीडीएम-वित्त) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (एबीडीएम-वित्त)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-8: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 47600-151100/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :  (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या  (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44,9,00 – 1,42,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और  (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-  (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>संस्थान से बैचेलर की डिग्री;</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में वित्त में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक निदेशक (एबीडीएम-संचालन) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (एबीडीएम-संचालन))	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-8: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 47600-151100/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग	

		संविदा सहित):	निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44,9,00 - 1,42,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री; (ii) आईटी/स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में सार्वजनिक सेवा परिदान के संचालन में तीन वर्ष का अनुभव। (टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	
--	--	---------------	--	--	--------------------------------	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक निदेशक (एबीडीएम-अंगीकरण) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक	1(2022) * कार्य भार	साधारण केंद्रीय सेवा	स्तर-8: वेतन मैट्रिक्स में ( रु. 47600-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(एबीडीएम- अंगीकरण)	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	151100/-).			
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :  (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या  (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44,9,00 – 1,42,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और  (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-  (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री;  (ii) बाहरी एजेंसियों/बाह्य हितधारकों के साथ समन्वय सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में में तीन वर्ष का अनुभव।  (टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
--	--	--	--	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक निदेशक (एबीडीएम-क्षमता निर्माण) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (एबीडीएम-अंगीकरण)	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-8: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 47600-151100/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :  (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44,9,00 – 1,42,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री;</p> <p>(ii) किसी सरकारी परियोजना अथवा स्कीम के प्रशिक्षण अथवा क्षमता निर्माण अथवा सूचना, शिक्षा और संचार में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	--	--	--	--

**स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-प्रशासन) के लिए भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-प्रशासन)	2(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-7: वेतन मैट्रिक्स में ( रु. 44,900-1,42,400/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से	

प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	<p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35,4,00 – 1,12,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता</p>	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री;</p> <p>(ii) प्रशासन अथवा स्थापना में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>(टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	--	--	--	--

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-वित्त) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक

1	2	3	4	5	6	7
सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-वित्त)	2(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-7: वेतन मैट्रिक्स में ( रु . 44,900-1,42,400/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35,4,00 – 1,12,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचेलर की डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में वित्त में दो वर्ष का	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

			<p>अनुभव। (टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	--	---	--	--	--

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय या उसके विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-आईटी डिजिटल स्वास्थ्य ) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक अनुभाग अधिकारी (एबीडीएम-आईटी डिजिटल स्वास्थ्य )	1(2022) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह, क	स्तर-7: वेतन मैट्रिक्स में (रु . 44,900-1,42,400/-).	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

		<p>संस्थानों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35,4,00 – 1,12,400) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिग्री/कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी /बीसीए/एंसिए में डिग्री ;</p> <p>(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अथवा स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
--	--	---	--	--	--

[फा.सं. S-12012/147/2022-NHA]

किरण गोपाल वास्का, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(National Health Authority )****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2026

**G.S.R. 192(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Health), Deputy Director (Digital Health), Deputy Director (Health Informatics) Assistant Director (Operations-ABDM), Assistant Director (ABDM-Adoption), Assistant Director (Capacity Building-ABDM) and Assistant Section Officer (IT-Digital Health) in the National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Health Authority, Group A" and B" Posts), Recruitment Rules, 2021.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in pay matrix** - The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.** - No person, --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion, on a request made in writing by the National Health Authority that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules for Deputy Director (ABDM -Administration) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (ABDM - Administration)	1(2022) *Subject to variation on dependent on workload	General Central Service Ministerial Gazetted Group, A	L-11, Rs. Rs. 67700-208700/-in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Education qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotions	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations /Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

			<p>Universities:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Five years' experience in administration or establishment.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed Four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Recruitment Rules for Deputy Director (ABDM -Finance) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whet her Select ion post/ Non-Select ion Post	Age Limits for Direct Recruits	Educatio nal and other Qualific ation required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (ABDM -	1(2022) *Subject to variation	General Central Service Ministerial Gazetted Group, A	L-11, Rs. Rs.67700-208700/-in the	Not Applic able	Not Applicable	Not Applicable

Finance)	depen dent on workl oad		Pay Matrix.			
Wheth er age & Educat ional qualifi cation prescribed for Direct Recrui tment will apply in the case of promot ees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation /ab sorption grades from which promotion/deputation/ abs orption to be made	If a Depar tmental Promotion Com mittee exists, what is its comp- osition	Circumst ances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applic able	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government/  State Governments/  Union Territories/  Autonomous or  Statutory  Organizations / Public  Sector Undertakings/  Recognized Research  Institutions/  Recognized Universities:	Not Applic able	Consultati on with Union Public Service Commissi on is not necessary.	
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or			

			<p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute; and</p> <p>(ii) 5 years' experience in Finance including experience in Budget and Accounts.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Recruitment Rules for Deputy Director (Health Informatics) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non- Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Health Informatics)	1(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Ministerial Gazetted Group, A	L-11, Rs. 67700-208700/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotions	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations / Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	
			Universities: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/depar			

			<p>ment; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Degree in Engineering/ Technology/ B.Sc. in computer science/BCA/ MCA from a recognised University/Institute.</p> <p>(ii) 5 years' experience in IT related projects.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			not exceed Four years. The Maximum age limit for appointment applications.			
--	--	--	---	--	--	--

Recruitment Rules for Deputy Director (Digital Health) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Digital Health)	1(2022) *Subject to variation depending	General Central Service Ministerial Gazetted Group, A	L-11, Rs. Rs.67700-208700/-in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
	dependent on workload					
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short	Officers under the Central Government/State	Not Applicable	Consultation with Union	

	able	Term contract)	Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations /Public Sector Undertakings/ Recognized Research		Public Service Commission is not necessary.	
			Institutions/Recognized Universities: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Degree in Engineering/ Technology / MBBS / BDS / Ayush / B.E/B.Tech. / B.Sc. in computer science / BCA / MCA from a recognised University / Institute. (ii) 5 years' experience in Health/IT related projects. <b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed Four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.			

Recruitment Rules for Deputy Director (Health) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director	1(2022)	General Central Service	L-11, Rs. Rs.67700-208700/- in the Pay	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(Health)	*Subject to variation dependent on workload	Ministerial Gazetted Group, A	Matrix.			
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption from grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission	
			Statutory Organizations / Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized Universities:  (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or  (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the following		ion is not necessary	

			<p>educational qualification and experience:</p> <p>(i) Degree in Engineering/Technology/M BBS/BDS/Ayush/BE/B. Tech/B. Sc. in Computer Science/BCA/MCA from a recognised University or institute; and.</p> <p>(ii) 5 years' experience in Health/IT related projects.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed Four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Recruitment Rules for Assistant Director (ABDM-Administration) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7

Assistant Director ABDM-Administration	1(2022)*Subject to variation on dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group, B	L-8, Rs.47600-151100/-in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
Recruitment will apply in the case of promotees						
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations / Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized Universities:	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary	
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years' service			

			<p>in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Three years' experience in administration or establishment.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Recruitment Rules for Assistant Director (ABDM-Finance) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (ABDM-Finance)	1(2022) *Subject to variati	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group, B	L-8, Rs.47600-151100/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

	on depen dent on workl oad					
Wheth er age & Educat ional qualifi cation  prescri bed for  Direct Recrui	Period of Probat ion if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation  /absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departm ental Promotio n Committ ee exists, what is its composit ion	Circumst ances in which UPSC to be consulted in making recruitme nt	
tment  will apply in the case of promot ees						
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applic able	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central  Government/State Governments/ Union Territories / Autonomouso r Statutory Organizations/ PublicSector Undertakings/ Recognized	Not Applicabl e	Consultati on with Union Public Service Commissi on is not necessary.	
			Research Institutions/ Recognized Universities:  (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent			

			<p>cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Three years' experience in Finance in Central Government/ State Governments/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organizations / Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized Universities.</p> <p>Note: The period of deputation including the period</p>			
			<p>of deputation in another ex-cadre postheld immediately preceded in this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Governments shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			

Recruitment Rules for Assistant Director (ABDM-Operations) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Select ion post/ Non-	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification
--------------	-------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

				Select ion Post		required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (ABDM- Operations)	1(2022) *Subje ct to variati on depen dent on workl oad	General Central Service Non- Ministerial  Gazetted Group, B	L-8, Rs.47600-151100/- in the Pay Matrix.	Not Applic able	Not Applicable	Not Applicabl e
Whether age & Educational qualifi cation prescri bed for Direct Recrui tment will apply in the case of promot ees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation/ab sorption grades from which promotion/deputation/abs orption to be made	If a Depart mental Prom otion Com mittee exists, what is its comp ositio n	Circumst ances in which UPSC to be consulted in making recruitme nt	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government /  State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings/	Not Applic able	Consultati on with Union Public Service Commissi on is not necessary.	

			<p>Recognized Research Institutions/</p> <p>Recognized Universities:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) 03 year experience in Operations of public service delivery in IT/ Health related Projects. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

## Recruitment Rules for Assistant Director (ABDM- Adoption) In Ministry/ Department of Ministry of Health &amp; Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (ABDM- Adoption)	1(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group, B	L-8, Rs.47600-151100/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
Direct Recruitment will apply in the case of promotees						
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central	Not Applicable	Consultation with Union Public	

			<p>Government / State Governments/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized Universities:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) 3-year experience in health sector including coordination with outside agencies/ external stakeholders.</p> <p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	<p>Service Commission is not necessary.</p>	
--	--	--	---	---	--

			preceding this appointment in the same or some other organization/			
			department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.			

Recruitment Rules for Assistant Director (ABDM- Capacity Building) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (ABDM- Capacity Building)	1(2022) *Subject to variation on dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group, B	L-8, Rs.47600-151100/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organizations/Public	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not	

			<p>Sector Undertakings/ Recognized</p> <p>Research</p> <p>Institutions/ Recognized Universities:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) 3-year experience in Training or Capacity Building or in Information, Education and Communication (IEC) of any government project or scheme.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for</p>		necessary.	
--	--	--	---	--	------------	--

			appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.			
--	--	--	---	--	--	--

Recruitment Rules for Assistant Section Officer (ABDM-Administration) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Section Officer ABDM-Administration	2(2022) *Subject to variation on dependent workload	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	L-7, Rs. 44900-142400/-in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organizations / Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutions/	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

			<p>Recognized Universities:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Two years' experience in administration or establishment.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

Recruitment Rules for Assistant Section Officer (ABDM- Finance) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Section Officer ABDM- Finance	2(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	L-7, Rs. 44900-142400/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/Deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organizations/ PublicSector Undertakings/ Recognized Research Institutions/ Recognized Universities:  (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or  (ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

			<p>a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Two years' experience in Finance in Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organisations/ Public Sector Undertakings/ Recognised Research Institutions/ Recognised Universities.</p>			
			<p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>			

Recruitment Rules for Assistant Section Officer (ABDM- IT-Digital Health) In Ministry/ Department of Ministry of Health & Family Welfare

Name of Post	No of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non-Selection Post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Section Officer ABDM- IT-Digital Health	1(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	L-7, Rs. 44900-142400/- in the Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Whether age & Educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotions	Period of Probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short Term contract)	Officers under the Central Government / State Governments/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organizations/ PublicSector Undertakings/ Recognized Research Institution/	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

			<p>Recognized Universities:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or</p> <p>(ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Degree in Engineering or Technology / B.Sc. in Computer Science / BCA / MCA from a recognized University/Institute.</p> <p>(ii) 2 years' experience in the field of information technology or health related projects.</p> <p><b>Note:</b> The period</p>		
--	--	--	--	--	--

			of deputation including the period of deputation in another ex-cadre Post held			
			immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.			

[F. No. S-12012/147/2022-NHA]

KIRAN GOPAL VASKA, Jt. Secy.